न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(लोकेश कुमार गौतम, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः— 88 / 2015
प्रविष्टि दिनांकः— 14—10—2015

रामलाल पुत्र माधू जाति खटीक निवासी ग्राम गणेती, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राजस्थान।

..... अपीलाण्ट

बनाम

नायब तहसीलदार, उप—तहसील बरवास, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राजस्थान।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार उप—तहसील बरवास दिनांक 29—09—2015 मिसल संख्या 67 / 15

उपस्थितः (1)श्री जितेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक अपीलाण्ट
(2)श्री जुगनू शर्मा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से।

निर्णय दिनांक 18.05.2017

1. संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार बरवास ने उनके आदेश दिनांक 29.09.2015 द्वारा ग्राम गणेती तह0 टोडारायसिंह के खसरा नम्बर 876 रकबा 0.65 हे0 किस्म गै0मु0 तालाब पर अपीलाण्ट द्वारा सम्वत 2072 में किये गये अतिक्रमण को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर उक्त आराजी से बेदखल करते हुए 293 / —रू0 पेनल्टी आरोपित की है तथा 90 दिवस के सिविल कारावास से दण्डित किया है। इस निर्णय को विधि विधान एवं तथ्यों के विपरीत मानते हुए निरस्त किये जाने हेतु यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन प्रकरण को मंगवाया गया।

3. अपीलाण्ट ने सबूत दस्तावेजो में नकल निर्णय नायब तहसीलदार बरवास दिनांक 29.09.2015 प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत की है। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का कथन है कि विवादित भूमि पर अपीलाण्ट बरसो से मकान बनाकर रह रहा है। अपीलाण्ट के पास इसके अलावा रहने के लिए अन्य कोई मकान नहीं है। अपीलाण्ट गरीब अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, जिसको पूर्व में कभी भी मौके पर से बेदखल नहीं किया गया है। अपीलाण्ट निर्बाध रूप से उक्त विवादित स्थान पर बने हुए बाडे व मकान पर काबिज है। अपीलाण्ट के नोटिस पर प्रोपर तामील नहीं हुई अपीलाण्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये, मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट व मौके का निरीक्षण किये बिना तथा बिना हलफिया बयान

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

लिये व पटवारी से जिरह का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है। हल्का पटवारी द्वारा दुर्भावना पूर्वक गलत रिपोर्ट की गई है। अपीलाण्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं किया है, पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्पीकिंग आदेश जारी नहीं किये है, अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी उल्लेख नहीं किया है कि पूर्व में अपीलाण्ट को किस तारीख को उक्त भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल किया गया और किस तारीख को पुनः अतिक्रमण किया। अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.09.2015 निरस्त फरमाया जावे।

5. राजकीय अभिभाषक का कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा पूर्व में भीं इसी विवादित भूमि पर कब्जा कर अतिक्रमण किया था। सम्वत 2072 में पुनः इसी भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है जो बयान पटवारी हल्का से पश्चातवर्ती अतिक्रमी सिद्व है। ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार बरवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.15 उचित है एवं अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य है।

6. हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का गणेती ने अपीलाण्ट द्वारा सम्वत 2072 में ख0नं0 876 रकबा 0.65 हेक्टेयर भूमि किस्म गै0मु0 तालाब वाके ग्राम गणेती तह0 टोडारायसिंह पर अनाधिकृत रूप से मकान व बाडा बनाकर किये गये अतिक्रमण पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जिसके आधार पर नायब तहसीलदार बरवास ने अपने निर्णय दिनांक 29.09.15 द्वारा अपीलाण्ट को विवादित भूमि से बेदखल करने, शास्ति कायम करने एवं सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया गया राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जो नोटिस अपीलाण्ट को जारी किया गया है उस पर प्रोपर अपीलाण्ट की तामील कराई गई है, अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्षं उपस्थित हुए परन्तु कोई जवाब व साक्ष्य वहां प्रस्तुत नहीं की है। इससे अपीलाण्ट का यह कथन कि उसे बिना सुने अथवा साक्ष्य सबूत पेश किये निर्णय पारित किया है, यह कथन मान्य नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा दुर्भावना पूर्वक गलत रिपोर्ट की गई है वे इसे भी सिद्व नहीं कर पाये है। पूर्व में भी इसी भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण किया गया था वह बयान पटवारी हल्का एवं खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2070 से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना जाहिर है, अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.09.14 को शपथ पत्र पेश किया था कि उक्त भूमि पर से कब्जा छोड दिया है, दुबारा अतिक्रमण नहीं करूंगा, भविष्य में दुबारा अतिक्रमण करता हूं तो उसका जिम्मेदार वह स्वयं होगा फिर भी अपीलाण्ट ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है जो पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। राजस्व रिकार्ड में भूमि गै0मु0 तालाब है जो राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत नियमन योग्य भी नही है। अपीलाण्ट को आवास हेतु निर्धारित प्रकियानुसार भूमि आवण्टन की कार्यवाही करनी चाहिऐ। नायब तहसीलदार बरवास द्वारा उक्त भूमि से बतोर अतिक्रमी अपीलाण्ट के विरूद्व जो कार्यवाही की गई है उसमें हमें कोई त्रृटि प्रतीत नहीं होती है। अतः नायब तहसीलदार बरवास द्वारा पारित आदेश यथावत रखना उचित है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

आदेश

7— फलतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर नायब तहसीलदार बरवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 29—09—2015 यथावत रखा जाता है।

8— निर्णय आज दिनांक 18—05—2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक